भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1601
13 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

बेघर लोगों को आवास संबंधी सहायता

†1601. **श्री ई. टी. मोहम्मद बशीरः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा बेघरों की संख्या को कम करने और बेघर लोगों को आवास संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं**;**

(ख) क्या सरकार ने बुजुर्गों**,** निःशक्तजनों अथवा वयोवृद्ध व्यक्तियों जैसे कमजोर लोगों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कोई विशिष्ट कार्यक्रम/पहल शुरू की है और यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;** और

(ग) सरकार विशेषकर उच्च किराया लागत वाले शहरी क्षेत्रों में बेदखली रोकने के मुद्दे का किस प्रकार समाधान कर रही है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) अपने संबंधित शहरी क्षेत्रों में बेघर और असुरक्षित वर्ग - जैसे कि बुजुर्ग, दिव्यांग या वेटेरन सहित अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजना का कार्यान्वयन करता है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है, जिसका उद्देश्य देश भर में बेघर आबादी सहित पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ सभी मौसम के अनुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराना है।

मंत्रालय ने पीएमएवाई-यू के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर कुल 118.64 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 112.46

लाख आवासों में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और 03.02.2025 तक शहरी क्षेत्रों में बेघर और असुरक्षित वर्ग सहित लाभार्थियों के लिए 90.36 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है/सौंपे जा चुके हैं। शेष आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत सभी आवासों को पूरा करने के लिए योजना अवधि को 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन का शुभारंभ किया है ताकि चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा सस्ती लागत पर आवास बनाया, खरीदा और किराये पर लिया जा सके। पीएमएवाई-यू 2.0 की योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों और समाज के अन्य कमजोर और असुरक्षित वर्गों के व्यक्तियों को वरीयता दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के अंतर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय सहायता प्रदान करती है, ताकि शहरी बेघर लोगों के लिए जल आपूर्ति, स्वच्छता, सुरक्षा और संरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं सहित स्थायी आश्रयों तक उनकी पहुंच और उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

मकान मालिक और किरायेदार के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए किरायेदारी को राज्य किरायेदारी कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस मंत्रालय ने स्थानीय परिदृश्य के अनुसार अपनाने या अनुकूलन के लिए राज्यों को मॉडल किरायेदारी अधिनियम परिचालित किया है।

*****